



## प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 78/2025

दिनांक- 02.03.2025

\*हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने व अवैध गांजा की तस्करी रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक- 02.03.2025 को थाना रौनापार व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम आजमगढ़ द्वारा अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है तथा अभियुक्त के कब्जे से 06 कुन्तल 19.25 कि०ग्रा० गांजा (कीमत लगभग 70 लाख रूपयें) व घटना में प्रयुक्त 01 मैजिक वाहन बरामद किया गया है।\*

\*थाना- रौनापार\*

\*अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार \*

\*अभियुक्तों के कब्जे से 06 कुन्तल 19.25 कि०ग्रा० गांजा (कीमत लगभग 70 लाख रूपयें), घटना में प्रयुक्त 01 मैजिक वाहन व नकदी बरामद\*

\*गिरफ्तारी/घटना का अनावरण-\*

दिनांक- 02.03.2025 की रात्रि को थाना रौनापार व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा ग्राम महला गढवल बंधा पर स्थित कैंची मोड़ के पास से चेकिंग के दौरान संदिग्ध मैजिक वाहन को रोका गया तथा तलाशी ली गई तो उक्त वाहन मे नाजायज गांजे को सरपत से छिपा कर लदा हुआ पाया गया। जिसे मौके पर ही राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी मे तलाशी ली गई तो वाहन मे 06 कुन्तल 19.25 कि०ग्रा० अवैध गांजा पाया गया। वाहन चालक शैलेन्द्र उर्फ मिन्टू राय पुत्र रामबदन राय निवासी कुरुंगा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को मौके से ही समय करीब रात्रि 12.15 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रौनापार पर मु०अ०सं० 68/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

\*अपराध करने का तरीका-\*

गिरफ्तार अभियुक्त शैलेन्द्र उर्फ मिन्टू राम उपरोक्त ने बताया कि मैं पहली बार असम प्रदेश से अपने मैजिक वाहन पर गांजा को लादकर छुपते-छुपाते आ रहा था कि पुलिस द्वारा मुझे पकड़ लिया गया, उक्त गांजा को मैं अपने घर में रखकर वही से जनपद आजमगढ़ व मऊ में गांजा बेचने का कार्य करने वाला था।

\*बरामद अवैध गाँजा का विवरण-\*

- 1.गांजा 06 कुन्तल 19.25 कि०ग्रा० (कीमत लगभग 70 लाख रूपयें)
2. जामा तलाशी से 950 रुपया
- 3.मैजिक गाड़ी नं० UP54AT6540

\*पंजीकृत अभियोग-\*

1-मु०अ०सं० 68/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-\*

\*शैलेन्द्र उर्फ मिन्टू राय पुत्र रामबदन राय निवासी कुरुंगा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र 38 वर्ष\*

- 1-मु०अ०सं० 127/23 धारा 3/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० व 120बी भादवि थाना रामपुर जनपद मऊ।
- 2-मु०अ०सं० 68/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-\***

*थाना रौनापार*	*स्वाट टीम*	*सर्विलांस टीम*
1.थानाध्यक्ष अनुपम जायसवाल 2.व0उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया 3.उ0नि0 विवेक सिंह चौकी प्रभारी महुला 4.उ0नि0 प्रशान्त पाण्डेय 5.उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार 6.उ0नि0 शिवम मिश्र का0 रवि शर्मा 7.हे0का0 निकेश का0 अखिलेश पाण्डेय 8.हे0का0 दिनेश कुमार यादव का0 राजन कुमार 9.का0 विशाल मल्ल का0 मनीष कुमार,	1.उ0नि0 संजय सिंह प्रभारी स्वाट टीम 2.उ0नि0 साबान 3.हे0का0 सत्येन्द्र यादव 4.हे0का0 अवधेश कुमार यादव 5.का0 मुकेश कुमार 6.का0 धर्मेन्द्र सोनी	1.उ0नि0 अतुल कुमार मिश्र प्रभारी सर्विलांस टीम 2.हे0का0 संजय सिंह 3.हे0का0 उमेश यादव



